



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

सोमवार, 06 चैत्र, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 27 मार्च, 2017)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. निधन के निदेश।
3. सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन), अध्यादेश, 2016 को सदन के पटल पर रखेंगे।
4. वित्त मंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243-झ (4) एवं अनुच्छेद 243-म (2) के अधीन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों) (2016-2021) के प्रतिवेदन, आयोग की संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन के पटल पर रखेंगे।
5. श्री अध्यक्ष माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 2005 के नियम 152 (1) के अन्तर्गत पढ़कर सुनायेंगे।
6. सचिव, विधान सभा गुरु राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 152 (2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे।
7. सचिव, विधान सभा क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 152 (2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे।
8. सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन), विधेयक, 2016 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 152 (2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे।

9. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि:-

- (1) विनियोग (2016-2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का बाईसवां अधिनियम बन गया।
- (2) उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का तेइसवां अधिनियम बन गया।
- (3) उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।
- (4) उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।
- (5) उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।
- (6) उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।
- (7) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का उनतीसवां अधिनियम बन गया।

- (9) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का तीसवां अधिनियम बन गया।
- (10) उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का इक्तीसवां अधिनियम बन गया।
- (11) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।
- (12) हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का तैतीसवां अधिनियम बन गया।
- (13) उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का चौतीसवां अधिनियम बन गया।
- (14) रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का पैतीसवां अधिनियम बन गया।
- (15) उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का छत्तीसवां अधिनियम बन गया।
- (16) उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का सैतीसवां अधिनियम बन गया।
- (17) उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की

- (18) भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का उनचालीसवां अधिनियम बन गया।
- (19) उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का चालीसवां अधिनियम बन गया।
- (20) उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का इक्चालीसवां अधिनियम बन गया।

10. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
11. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
12. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
13. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
15. श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

“यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2017 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है”


श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी “ख”)

(समय : अपराह्न 04:00 बजे)।

16. वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे।
17. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :
दिनांक : 26 मार्च, 2017

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।



प्रथम सत्र, 2017
का प्रथम सोमवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

सोमवार, 06 चैत्र, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 27 मार्च, 2017)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह
पंवार

22.03.2017

** क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आगामी चारधाम यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सरकार कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

पर्यटन



नत्थी (ख)

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

<u>कं.सं.</u>	<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संशोधन का रूप</u>
1.	श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल	<p>प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:- “किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रदेश में 11 नये जनपद बनाये जाने,2. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के लमगड़ा महाविद्यालय के भवनों को बनाये जाने,3. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के राजकीय महाविद्यालय, गुरुडाबांज में प्रशासनिक भवन बनाये जाने,4. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के राजकीय महाविद्यालय, गुरुडाबांज में विज्ञान वर्ग के विषय एवं पदों का सृजन किये जाने,5. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के राम सिंह धौनी, महाविद्यालय, जैती में विज्ञान विषय की प्रयोगशाला बनाये जाने,6. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के बी0सी0 जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, दन्या में विषय सहित पदों का सृजन किये जाने,7. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में लमगड़ा-शहरफाटक मार्ग के डोल से डोल आश्रम तक रोपवे बनाये जाने,8. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के डोल आश्रम में संग्रहालय बनाये जाने,9. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के गुरुडाबांज खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में परिवर्तित किये जाने,10. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में चायखान खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में परिवर्तित किये जाने,11. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में जैती-चायखान-सत्यों- ध्याड़ी-बाराकूना में हैलीपैड बनाये जाने,

12. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में चमतोला-पपोली मोटर मार्ग से नायलधूरा-कूनापोखरी तक मोटर मार्ग बनाये जाने,
13. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में खांकर से तडैनी शहरफाटक तक मोटर मार्ग बनाये जाने,
14. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में लमगड़ा तहसील भवन बनाये जाने,
15. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर में आई0टी0आई0, नैणी व आई0टी0आई0, बिसौत के भवनों का निर्माण किये जाने,
16. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के विकास खण्ड लमगड़ा के मेरगांव, सेल्टाचापड़ (चौड़ाखान), बसन्तपुर एवं थुवासिमल में स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने,
17. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के विकास खण्ड धौलादेवी के चामी में स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने,
18. उत्तराखण्ड के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
19. अल्मोड़ा से पौधार (बानड़ी देवी मन्दिर) रोपवे बनाये जाने,
20. जागेश्वर से वृद्ध जागेश्वर एवं झांकरसैम मन्दिर तक रोपवे बनाये जाने,
21. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के राजकीय हाईस्कूल, खांकर का इण्टरमीडिएट तक उच्चीकरण किये जाने,
22. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के राजकीय हाईस्कूल, ध्यूली धौनी का इण्टरमीडिएट तक उच्चीकरण किये जाने,
23. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के राजकीय इण्टर कॉलेज, ज्वारनैड़ी के भवन का निर्माण किये जाने तथा
24. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के राजकीय इण्टर कॉलेज गुणादित्य के भवन का निर्माण किये जाने।”

2. श्री प्रीतम सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. प्रदेश में नये जनपदों के गठन की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
2. गैरसैण के परिप्रेक्ष में तत्काल निर्णय लिये जाने,
3. जनपद देहरादून के दून अस्पताल को यथावत् जिला अस्पताल घोषित किये जाने,
4. जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्वांसी में स्वीकृत डिग्री कालेज का भवन निर्माण किये जाने,
5. जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कालसी, साहिया, चकराता एवं त्यूनी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,

6. जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत नागथात पेयजल योजना की निविदायें आमंत्रित किये जाने,
7. जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिन्सौण में स्वीकृत आश्रम पद्धति विद्यालय के अधूरे भवन को तत्काल पूर्ण किये जाने,
8. जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत त्यूनी-कथियान अधूरे मोटर मार्ग का बी.एम.एच.डी.बी.सी. से डामरीकरण किये जाने,
9. जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग के अधूरे डामरीकरण हेतु पुनाह पोखरी से गोरघाटी होते हुए लाखामण्डल यमुना नदी तक बी.एम. एच.डी.बी.सी. से डामरीकरण किये जाने,
10. जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत इन्टर कालेज मुन्धौल, केराड़, खरोड़ा, कोटी कनासर, बिन्सौण, काण्डोई भरम, ग्वासपुल, कोरुवा एवं मुन्धान के भवनों का निर्माण किये जाने,
11. जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत साहिया में स्वीकृत पालिटेक्निक में अन्य ट्रेड तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
12. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हनोल-त्यूनी, त्यूनी-आराकोट, त्यूनी-प्लासू जल विद्युत परियोजनायें तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
13. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हनोल में स्वीकृत पर्यटन आवास गृह का शीघ्र निर्माण किये जाने,
14. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डेरसा, प्यूनल मोटर मार्गों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,
15. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनियाना, खाटुवा मोटर मार्गों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,
16. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम तारली मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,
17. जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बोहा मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,
18. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोटी ईच्छाडी में शीघ्र अस्पताल का निर्माण किये जाने,
19. जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कोरुवा, क्वारना, मगरौली मोटर मार्गों का शीघ्र निर्माण प्रारम्भ किये जाने,

20. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लखवाड़, पंजीटीलानी, कथियान व कुरोली में स्वीकृत आई0टी0आई0 तत्काल इसी सत्र में प्रारम्भ किये जाने तथा
21. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कुनैन सैंज मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने।”

3. श्री प्रीतम सिंह पंवार प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. उत्तराखण्ड की स्थाई राजधानी घोषित करने,
2. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए अलग से रियायत देने,
3. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों सहित चिकित्सा शिविर एवं मोबाईल चिकित्सा वाहन के जरिये निश्चित तिथियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने,
4. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बहनें वाली छोटी-बड़ी नदियों के किनारे बसे गांवों को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट योजनाओं का निर्माण करने,
5. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों व घायलों को पूरे राज्य में अलग-अलग सहायता उपलब्ध कराये जाने के बजाय एक समान सहायता देने,
6. उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपदों में निवास करने वाले बाहरी व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन व परिचय पत्र जारी करने,
7. पर्वतीय क्षेत्रों में औषधीय गुणों से परिपूर्ण मुख्य फसलों व फलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने,
8. प्रदेश के चारधामों यथा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ के विकास के लिए पृथक से बजट में प्राविधान करने,
9. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्थित धार्मिक व पर्यटक स्थलों तथा पौराणिक मन्दिरों को चिन्हित कर उनके विकास व संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाने,
10. पर्यटन को बढ़ावा देने एवं संस्कृति संरक्षण के लिए आयोजित होने वाले मेलों को एक समान अनुदान देने,
11. देश के सीमाओं में शहीद होने वाले सैनिकों के स्मारक जनपद मुख्यालयों में बनाने एवं विद्यालयों एवं सड़कों के नाम उनकी स्मृति में रखने,
12. गेस्ट टीचरों को नियमित करने,

13. आंगनबाडी कार्यकर्त्री/आशा कार्यकर्त्री/भोजनमाताओं तथा ग्राम प्रहरियों के मानदेय बढ़ाने,
14. एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गुरिल्लों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिलाने,
15. चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों एवं आश्रितों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिलाने,
16. टिहरी बांध झील से प्रभावित गांवों की समस्याओं के निराकरण करने,
17. राज्य की क्षतिग्रस्त सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण करने,
18. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 थौलधार, के नकोट-धमाडी में पेयजल योजना निर्माण कार्य करने,
19. दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों जिनका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है उनके पुनर्निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने तथा मानकों में आवश्यक शिथिलता प्रदान करने,
20. उत्तराखण्ड राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस रोजगार नीति बनाने जाने,
21. राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी उद्योगों की स्थापना करने,
22. राज्य की महिलाओं के उत्थान हेतु योजना बनाने,
23. राज्य में स्वजल परियोजना को यथावत रखने,
24. राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउट सोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन दिये जाने,
25. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मुख्यालय थत्यूड (जौनपुर) में केन्द्रीय विद्यालय खोलने,
26. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मुख्यालय थत्यूड (जौनपुर) तथा थौलधार में मिनी स्टेडियम बनाने,
27. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के धनोल्टी-मोरियाणा, देवलसारी, नागटिब्बा व मसूरी खट्टा पानी को पर्यटन सर्किट घोषित करने,
28. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के थत्यूड, नैनबाग तथा कण्डीसौड, कमान्द में मिनी सब्जी मण्डियों की स्थापना करने,
29. जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय महाविद्यालय कमान्द में भवन निर्माण करने तथा स्वीकृत रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं के पदों को भरने,
30. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, का भवन निर्माण कार्य करने,
31. विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक व फार्मसिस्टों के रिक्त पदों को भरने,

32. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के धनोल्ती से मोरियाणा तक मोटर मार्ग को वन विभाग से लोक निर्माण विभाग में परिवर्तन कर निर्माण करने,
33. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के भवान-गवाणा-डामणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 24 मी० स्पान व 36 मी० स्पान स्टील गार्डर सेतु सहित निर्माण करने,
34. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर में छनाणगांव के भीमलकी चलोटी में क्षतिग्रस्त 90 मी० पैदल झूला पुल का निर्माण करने,
35. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के ग्राम सभा खट्ट से मोलखेत मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य करने,
36. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के मखडेत-मथलाऊ मोटर मार्ग के कि०मी० 3 में मिसिंग लौहसेतु व ग्राम बैट तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
37. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के साटागाड बैण्ड से फेडी किमोड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने,
38. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर में मसोन-काण्डी-द्वारगढ़ हल्का वाहन मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
39. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के सेल्वाणी राजखिल मंजगांव हल्का वाहन मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन (द्वितीय चरण) कार्य करने,
40. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार के मैण्डखाल से गैर-नगुण मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य करने,
41. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के भवान-साटागाड मोटर मार्ग का डामरीकरण (प्रथम चरण) कार्य करने,
42. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत श्रीपुर मथेट मय नारायणगांव, ल्वारखा धौलागिरी तक मोटर मार्ग का (द्वितीय चरण) निर्माण करने,
43. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत अगिण्डा से घिन्न तक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण कार्य करने,
44. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत गरखेत से ढाल तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण) कार्य का करने,
45. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत मुन्दणी से ऐरी तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण) का करने,
46. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार के गैर से कौगी, कौगी से खाद तक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) निर्माण करने,

47. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के विद्यालय बाण्डाचक-घुत्तु बैण्ड से डामणी मथलाऊ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
48. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के घण्डियाला से सरतली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
49. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत चम्बा-धरासू के अन्तर्गत कि०मी०-64 से सैनसारी-नवागांव-मंजकोट मोटर मार्ग के अवशेष भाग (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य करने,
50. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार के उनियालगांव से सरोट तक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य करने,
51. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रायपुर कुमालडा, कददूखाल के कि०मी०-35 से सतंगल मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य करने,
52. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत सुवाखोली से क्यारा होते रायपुर तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य करने,
53. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार के लालूरी घियाकोटी क्यादा की चली तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य करने,
54. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार मैण्डखाल से गैर नगुण के मोटर मार्ग के लवाणी से गाफर तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण) का कार्य करने,
55. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत मैण्डखाल से खाद, साबली (जौनपुर) मोटर मार्ग एवं अलमस-भवान नगुण मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण करने,
56. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के कैम्पटी-थत्यूड मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य करने,
57. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के कैम्पटी-चडोगी हल्का वाहन का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण कार्य करने,
58. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के तौलियाकाटल के सौन्दणा ग्राम में सौंग नदी पर 62 मी० पुल निर्माण कार्य करने,
59. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के ग्राम फिडोगी के ग्राम बुरांस खण्डा से आलूचक के चलीधार, पत्थर खन, जवाला, मानीधार होते हुए बन्दरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य करने,
60. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के दुबडी से रगडगावं तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने,
61. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के दुधली से डिबोगी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य करने,
62. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार में बगियाल से जुखाडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य करने,

63. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर में कैम्पटी फाल के निकट मोटर पार्किंग हेतु मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुरक्षा दिवार निर्माण (द्वितीय चरण) का कार्य करने,
64. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत घुघती ढुंगा धमाडी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य करने,
65. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार के लेंगर्थ से भोंगर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य करने,
66. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत गोठ में क्यारा से गोठ झालकी होते हुए धनोल्ती तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने,
67. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के हटवालगांव से आनन्द चौक तक पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण करने,
68. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के हटवालगांव से बनाली तक पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण करने,
69. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के अगलाड नदी से काण्डी तक पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण करने,
70. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के टरू एवं खाद में पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण करने,
71. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर में भवान, स्यालसी व गोरण हेतु पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण करने,
72. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के रा0इ0का0 आनन्द चौक,मरोडा, रौतू की बेली, नकुर्ची, मथलाऊ, सड़व क्यारी, दौंक, विकास खण्ड थौलधार के गैर (नगुण) क्यारी (नगुण), बाण्डा व विकास खण्ड चम्बा के बनाली में भवन निर्माण कार्य करने,
73. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के रा0उ0मा0वि0 सेलवाणी, कुमालडा, थान, नौघर, साटागाड, भटोली, लैदूर, भाल की माण्डे, भुटगांव, चामासारी, रणोगी, परोगी का भवन निर्माण कार्य करने,
74. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के भवान, कैम्पटी व विकास खण्ड थौलधार के मैण्डखाल में पशुचिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य करने,
75. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के कण्डालगांव, भटोली, काण्डाजाख, रगड़गांव, गोठ (जमठियालगांव), शीर्ष, व विकास खण्ड थौलधार के डडोली, नेरी, मंजकोट (नगुण), थौलधार में पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण कार्य करने,
76. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार के अन्य पिछडा वर्ग गंगाडी समुदाय को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने,

77. प्रदेश में स्थापित होने वाले छोटे-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रदेश के ही शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किये जाने,
78. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अध्यापक विहीन हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में तथा महाविद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती करने,
79. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के धनोल्ती-मोरियाणा, देवलसारी, नागटिब्बा तक जाने हेतु सुदृढ ट्रैक मार्गों तथा विश्रामालयों का निर्माण करने,
80. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के वन भूमि हस्तानान्तरण प्रक्रिया में लम्बित प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण करने,
81. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के चम्बा-जड़ीपानी, काणाताल धनोल्ती को नवीन तकनीकी रूप से फल पट्टी विकसित करने,
82. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के कण्डीसौड (थौलधार) तथा थत्यूड (जौनपुर) में राजकीय पालिटैक्निक की स्थापना करने,
83. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के अगलाड नदी तथा सौंग नदी (सकलाना क्षेत्र) के आस-पास बस्तियों एवं गांवों में बाढ़ सुरक्षा कार्य करने,
84. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के भवान, थत्यूड, पन्तवाडी व वि०ख० थौलधार के कमान्द में खेलों के प्रोत्साहन हेतु खेल मैदानों का निर्माण करने,
85. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार के कण्डीसौड में विकास खण्ड चिन्यालीसौड, (उत्तरकाशी) के गांवों को जोड़ने हेतु पैदल झूला पुल का निर्माण करने,
86. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में निवासरत लोगों के द्वारा हो रहे लगातार पलायन को रोकने हेतु टोस नीति बनाने,
87. चारधाम यात्रा मार्गों पर तीर्थ यात्रियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने,
88. राज्य में औद्योगिकी को आर्थिकी व रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य योजना व नीति बनाने,
89. राज्य की महिलाओं के उत्थान हेतु योजना बनाये जाने,
90. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त अगलाड नदी पर बहे खेतों का पुर्ननिर्माण करने तथा बाढ़ नियन्त्रण योजनान्तर्गत सुरक्षात्मक कार्य करने,
91. राज्य में होम स्टे योजना में सरलीकरण करने,
92. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत विद्युत सुविधा से वंचित गांवों/तोकों में विद्युतीकरण किये जाने,
93. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत म्याणी (जाखधार), रौतू की बेली, मोरियाणा, बनानी (चम्बा), में बी०एस०एन०एल० मोबाईल टावर स्थापित करने,

94. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत भवान-नगुण मोटर मार्ग में स्थित ग्राम रौतू की बेली के समीप स्थापित बस्तियों में पेयजल योजना कार्य करने,
95. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम थत्यूड, साटागाड (बान्सी), मेलगढ़, टिकरी (ढकरौल) सौटियालगांव, श्रीपुर (भरवाकाटल) तथा वि०ख० थौलधार के अन्तर्गत ल्वारखा (थौलधार), स्यांसू, खाण्ड, डोबन, क्यारी (गुसांई) में बारात घर का निर्माण करने,
96. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के सत्यों (पुजारगांव) में राजकीय महाविद्यालय हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने,
97. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के मरोडा (सकलाना) में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने,
98. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के नैनबाग तथा वि०ख० थौलधार के कण्डीसौड में तहसील के भवनों का निर्माण कार्य करने,
99. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के बगियाल व गरखेत में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने,
100. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल धनोल्ती, भवान तथा कमान्द, मैण्डखाल में पर्यटकों व क्षेत्रीय जनता की सुविधा हेतु एटीम सुविधा उपलब्ध कराने,
101. राज्य के महिला मंगल दलों तथा युवक मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने तथा
102. नये जिलों का सजून किये जाने।”

4. काजी मौ० निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. गंगा और यमुना की सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कोई कार्ययोजना बनाए जाने,
2. कुम्भ मेला क्षेत्र के विस्तारीकरण की कोई कार्ययोजना बनाए जाने,
3. जनपद हरिद्वार में कावण मार्ग के विस्तारीकरण की कोई कार्ययोजना बनाए जाने,
4. राज्य के श्मशानों, घाटों की चार दिवारी और बारिश के मौसम में शवदाह करने हेतु श्मशान घाट में छतरी निर्माण कराये जाने,
5. किसानों के बिजली बिल के माफ किये जाने,
6. गन्ने की पैदावार को बढ़ाने और गन्ने की फसल में चीनी की मात्रा बढ़ाने के लिए किसी कार्ययोजना,
7. किसानों के कर्ज की माफी किये जाने,

8. चीनी उद्योग का आधुनिकरण किये जाने,
9. ओलावृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा से खराब किसानों की फसल का मुआवजा देने,
10. किसानों को सही समय पर उर्वरक एवं कीटनाशक, उपलब्ध कराने विषयक,
11. जनपद हरिद्वार में सिंचाई हेतु नलकूपों की नालियां भारी मात्रा में टूटी होने के सम्बन्ध में,
12. ध्वनि प्रदूषण को रोकने, वाहनों से प्रेशर हार्न और अवैध हूटर हटाने के सम्बन्ध में
13. श्री रविदास एवं श्री बाल्मिकी मन्दिरों के रख रखाव और सौन्दर्यकरण की कोई कार्य योजना,
14. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों के आंतरिक मार्गों की मरम्मत और जल निकासी के लिए कोई कार्य योजना बनाए जाने,
15. एससीपी के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी में धनराशि को व्यय करने की कोई कार्य योजना बनाए जाने,
16. धीमान, प्रजापति, कश्यप, सपेरे, ठठेरे, बादी, नाई, जट इत्यादि अति पिछड़ी जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के लिए कोई कार्य योजना बनाने,
17. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे राज्य में नागरिकों तक 100 प्रतिशत वितरण करने की कोई समयबद्ध कार्य योजना बनाए जाने,
18. राज्य की समस्त नगर निकायों को कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रेन्चिंग ग्राउण्ड उपलब्ध कराये जाने,
19. पर्यटक प्रदेश होते हुए भी राज्य को मक्खियों एवं मच्छरों से शत प्रतिशत रूप से मुक्त कराने की कोई कार्ययोजना बनाने,
20. राज्य के नगर निकायों में आबादी के अनुपात में सफाई कर्मचारी एवं संसाधन उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना बनाने,
21. हरिद्वार में गंगा नदी पर बने भीमगोडा बैराज और होटल अलकनन्दा को उ0प्र0 से उत्तराखण्ड को स्थानान्तरित करने,
22. घाड विकास बोर्ड और खादर विकास बोर्ड को धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
23. मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त समस्त मार्गों की मरम्मत करने,
24. मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत लो0नि0वि0 के मार्गों को यथा शीघ्र पूर्ण कराने,
25. मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम आमखेडी में सोलानी नदी पर पुल बनाने,
26. मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मंगलौर और नारसन अस्पतालों में डाक्टर, दवाएं, एंबूलेन्स और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने ,

27. कस्बा मंगलौर में ट्रेफिक जाम से बचाने के लिए कस्बे का बाईपास बनाने,
28. मंगलौर और नारसन में पशु अस्पतालो में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने,
29. नारसन ब्लाक के राजवाहो और माइनरो में टेल का पानी पहुँचाने की कार्ययोजना बनाने,
30. मंगलौर में खेल का मैदान बनाने,
31. रूडकी में पुरानी गंगनगर को वाटर स्पोर्टस के लिए राष्ट्रीय मैप पर लाने की कार्ययोजना बनाने,

5. श्री हरीश धामी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. आपदाग्रस्त क्षेत्र धारचूला विधानसभा के दारमा, चौदास , व्यास, मिलम रालम, नामिक, मल्ला जौहार के जिन क्षेत्रों में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बरसात में रियायती दरों पर हैली सेवा का संचालन किये जाने,
2. मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने,
3. राजकीय इंटर कालेज मुनस्यारी के भवन निर्माण के संबन्ध में,
4. राजकीय इंटर कालेज नाचनी के भवन निर्माण के संबन्ध में,
5. राजकीय इंटर कालेज कोटा पन्दर पाल भवन निर्माण कराने,
6. राजकीय इंटर कालेज होकरा भवन निर्माण कराने,
7. राजकीय इंटर कालेज डोर के भवन निर्माण कराने,
8. राजकीय इंटर कालेज मला भैंसको के भवन निर्माण कराने,
9. राजकीय इंटर कालेज धामी गांव के भवन निर्माण कराने,
10. राजकीय इंटर कालेज जोस के भवन निर्माण कराने,
11. राजकीय इंटर कालेज उछेती एवं मवानी दवानी के भवन निर्माण कराने,
12. राजकीय इंटर कालेज बगीचा बगढ़ के भवन निर्माण कराने,
13. राजकीय इंटर कालेज-बरम, राजकीय इंटर कालेज-पंयां-पौड़ी, राजकीय इंटर कालेज-धारचूला, राजकीय इंटर कालेज-पांगला, राजकीय इंटर कालेज-रांथी के भवन निर्माण कराने,
14. तहसील भवन निर्माण तेमज, तहसील भवन निर्माण बंगापानी, मुनस्यारी के खनियाटोप तक रोपवे निर्माण कराने,
15. धार्मिक स्थल छिबला केदार के पैदल मार्गों का उल्लेख-सेरा सिरतोला से छिपला केदार, गलाती से छिपला केदार, रांथी जुमा से छिपला केदार के निर्माण कराने,
16. उमर गड़ा से सिलंग खरतोली सड़क मार्ग के संबन्ध में- चामी से मैतली सड़क मार्ग,सोबला से सुवा तक सड़क मार्ग, बंगा पानी से माणी धामी तक सड़क निर्माण कराने,

17. बंगला पानी से मदरमा होते हुए धामी गांव तक सड़क मार्ग, लुंगती से घरुड़ी मनकोट होते भ्योला तक सड़क मार्ग, मल्ला भैंस कोट से भुरिया गड़ा तक सड़क मार्ग, गिनी बैंड से गिनी गांव तक सड़क मार्ग, क्वैटी से सैमली तक सड़क मार्ग, रांथी से जरथी तक सड़क मार्ग, रींगू से कटूपा ग्लेशियर बेस कैंप तक सड़क मार्ग निर्माण कराने,
18. धारचूला में मिनी स्टेडियम का निर्माण, धारचूला में आईटीआई भवन, नाचनी में आईटीआई भवन, जौलजीवी में आपदा केन्द्र स्थापित करने कराने,
19. डीडीहाट जिले के निर्माण किये जाने,
20. छोटा कैलाश यात्रा के सम्बन्ध में,
21. हल्द्वानी से मुनस्यारी और धारचूला के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रियायती दरों पर चलाई गई हैली सेवाओं को जारी रखने के संबन्ध में,
22. चारधाम धाम यात्रा की तर्ज पिथौरागढ़ जिले के धार्मिक स्थलों-कैलाश मानसरोवर, छोटा कैलाश यात्रा को विकसित करने,
23. पिथौरागढ़-दिल्ली, पिथौरागढ़-देहरादून हवाई सेवा चालू करने,
24. ऐतिहासिक अन्तराष्ट्रीय जौलजीवी मेले को राष्ट्रीय स्तर देने,
25. मुनस्यारी में आवारा पशु और बंदरों की रोकथाम,
26. आपदाग्रस्त क्षेत्रों के अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने,
27. धारचूला-मुनस्यारी के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
28. पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे विकास खण्डों का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने,
29. ग्रामसभा चामी मैथली में पेयजल योजना बनाएँ जाने,
30. ग्रामसभा खरतौली, सिलिंग, सिरतौला,सैरा, में पेयजल योजना,
31. ग्रामसभा मदकोट में पेयजल योजना,
32. ग्रामसभा रींगू के मनिया गैरतोप में पेयजल योजना,
33. ग्रामसभा बलवा कोट के पोखरी तोक में पेयजल योजना,
34. ग्रामसभा रांथी के खोथिला में पेयजल योजना,
35. मुनस्यारी में मिनी स्टेडियम बनाने,
36. तहसील तेजम क्षेत्र में मिनी स्टेडियम के निर्माण किये जाने,
37. तहसील- बंगपानी के क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनाएँ जाने तथा
38. मुनस्यारी से खलिया टॉप तक रोपवे निर्माण किये जाने।”

6. श्री करन महारा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. रानीखेत गोविन्द सिंह महारा नागरिक चिकित्सालय के उच्चीकरण होने के बावजूद बजट व डाक्टरों की नियुक्ति शीघ्र किये जाने,
2. रानीखेत में पूर्ववती सरकार द्वारा कैबिनेट में स्वीकृत स्टेडियम का निर्माण शीघ्र किये जाने,
3. रानीखेत चिड़ियानौला रोप-वे का निर्माण किये जाने,
4. रानीखेत विधान सभा के अंतर्गत कोठियां-तस्वाड़-टाना मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
5. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा रानीखेत के अंतर्गत भुजान-रानीखेत पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण किये जाने,
6. विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अंतर्गत देवीधुरा पम्पिंग योजना के स्रोत के निकट डैम निर्माण किये जाने,
7. रानीखेत विधान सभा स्थित गोविन्द सिंह महारा नागरिक चिकित्सालय में डाक्टरों एवं कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण किये जाने,
8. रानीखेत विधान सभा क्षेत्र में भतरौजखान चिकित्सालय का उच्चीकरण एवं चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
9. रानीखेत विधान सभा के अंतर्गत रानीखेत-हल्द्वानी मोटर मार्ग से सरौली होते हुए चमोली एवं तस्वाड़ तक लिंक मोटर मार्ग किये जाने,
10. रानीखेत विधान सभा के भुजान-रिची मोटर मार्ग से स्यालीखेत तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
11. रानीखेत विधान सभा के अंतर्गत सिलौर क्षेत्र के पस्तोड़ावार एवं पस्तोड़ापार दोनों मोटर मार्गों का निर्माण किये जाने,
12. रानीखेत विधान सभा के अंतर्गत देवलीखेत से नाफड़ा तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
13. रानीखेत विधान सभा के अंतर्गत विनायक-रिखाड़ मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण किये जाने,
14. रानीखेत विधान सभा के अंतर्गत एक महिला पॉलीटेक्निक खोले जाने,
15. रानीखेत विधान सभा के अंतर्गत आई0टी0आई0 चिड़ियानौला के उच्चीकरण एवं भवन निर्माण किये जाने,
16. ताड़ीखेत विकास खण्ड के बिल्लेख क्षेत्र में पॉलीटेक्निक का निर्माण किये जाने,
17. नये जनपदों का सृजन किये जाने,
18. कैंटोन्मेंट क्षेत्र रानीखेत के सिविल एरिया को चिड़ियानौला, रानीखेत नगरपालिका में सम्मिलित किये जाने तथा
19. गेस्ट टीचर्स एवं अतिथि शिक्षकों की सेवा की सुरक्षा किये जाने।”

7. श्री आदेश सिंह चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. राजकीय महाविद्यालय जसपुर में खोले जाने,
2. रोड़वेज बस अड्डा जसपुर में खोले जाने,
3. तहसील भवन जसपुर के निर्माण के सम्बन्ध में तथा
4. समय सीमा के अंदर धान व गेहूं मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में।”

8. श्री मनोज रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. रुद्रप्रयाग और चमोली के समस्त भू-भाग जिसे पूर्व में “मल्या-मुल्क” के नाम से जाना जाता था, को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने,
2. गुप्तकाशी और ऊखीमठ के बीच स्थित विद्यापीठ में आर्युवेदिक मेडिकल कालेज खोले जाने का,
3. केदारनाथ धाम को सड़क व रोपवे से जोड़े जाने,
4. ऊखीमठ विकास खंड के चिलौड़, तोशी, गडगू व गौंडार गांव जो वन अधिनियम के कारण सड़क मार्ग से वंचित है, को मोटर मार्ग से जोड़ने,
5. 2013 की आपदा के बाद रांऊलैक-जग्गी-बागवान-बेडुला-कालीमठ मोटर मार्ग जिसका निर्माण रुका है निर्माण शुरु किये जाने,
6. गैरसैण को राजधानी बनाये जाने,
7. काली शिला, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ पंच केदारों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और सुविधाओं के सृजन तथा इन तीर्थ स्थलों में वन भूमि को हस्तांतरित करने,
8. पनपतिया होते हुए केदारनाथ से बदरीनाथ तक जाने वाले “पुजारी ट्रैक” को पुर्नजीवित करने,
9. सेमी, जाल तल्ला, मलांऊं, धौकणी, नैणी-मालखी, कुणजेटी, दिलमी और सरुणा सहित रुद्रप्रयाग जिले के आपदाग्रस्त गांवों का विस्थापन या पुर्नवास किये जाने,
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ में सर्जन, महिला रोग विशेषज्ञ, पैथोलोजी, अल्ट्रासाउंड, एक्स रे की व्यवस्था तथा अगस्त्यमुनी अस्पताल में सर्जन सहित अन्य डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने,
11. अगस्त्यमुनी से लेकर तालीबग्गर होते हुए बनियाड़ी-बेडुबग्गड़ जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य आरंभ करने,
12. सिल्ला-बमाणगांव से होकर गदनू मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
13. स्वारी ग्वांस से लेकर मालखी तक मोटर मार्ग को जोड़े जाने,
14. नगर पंचायत ऊखीमठ और आस- पास के क्षेत्रों के लिए पिंगला-पानी जलापूर्ति योजना का निर्माण किये जाने,
15. केदारनाथ-खाम-मनणी-रांसी-मद्महेश्वर-बणतोली-बिसुडीताल-चो पता-तुंगनाथ-रुद्रनाथ-कल्पेश्वर को पंचकेदार ट्रैक के रूप में विकसित करने,
16. विद्यापीठ स्थित महाविद्यालय में कला संकाय में प्राध्यपकों की नियुक्ति किये जाने तथा विज्ञान संकाय खोले जाने,
17. गुप्तकाशी में 120 नाली चयनित भूमि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने,

18. तल्ला नागपुर क्षेत्र में तल्ला-नागपुर-दशज्यूजा क्षेत्र को पर्यटक सर्किट बनाने,
19. फलासी-तड़ाग-देवीधार-उसनतोली-कार्तिकस्वामी-कनकचौरी-मोहन खाल- राक्सीदेवी -चोपता -तुंगनाथ को ट्रैक के रूप में विकसित करने,
20. सतेराखाल से लेकर कनकचौरी मोहनखाल -पोखरी में मांडनटैन बाइकिंग शुरू करने,
21. तल्ला-नागपुर क्षेत्र रुद्रप्रयाग जनपद का सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र की पेयजल समस्या के निस्तारण किये जाने,
22. तल्ला-नागपुर क्षेत्र में स्वीकृत महाविद्यालय खोले जाने का शासनादेश जारी हो के बाद भी अद्यतन महाविद्यालय आरंभ करने,
23. तल्ला-नागपुर के चोपता स्थित पालिटैक्निक का नाम ओ0एन0जी0सी0 के पहले चेयरमैन बी0एस0नेगी के नाम पर किये जाने,
24. तल्ला-नागपुर क्षेत्र में विकास खंड व तहसील खोले जाने,
25. केदारनाथ आपाद पीड़ितों में से मुआवजे से वंचित लोगों को शीघ्र मुआवजा भुगतान किये जाने,
26. मैखंडा-खड़िया-फाटा संपर्क मार्ग बनाने,
27. तल्ला-नागपुर में पशुधन चिकित्सा केंद्र में पशु चिकित्सक व अन्य स्टाफ भेजे जाने,
28. बोंरा-द्वारीधार, थपलगांव की पेयजल समस्या के निस्तारण किये जाने,
29. गड़ीधार-ईशाला मोटर मार्ग बनाये जाने,
30. कोटखाल खाल जागतोली मोटर मार्ग कुणजण-कांडई मोटर मार्ग के सम्बन्ध,
31. रा0इ0कालेज कांडई, दशज्यूला में अध्यापकों को भेजे जाने,
32. जागतोली में आई0टी0आई खोले जाने,
33. कांडई ए0एन0एम0 सेंटर का भवन निर्माण किये जाने,
34. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्यूंजा-ऊच्चाहुंगी का उच्चीकरण किये जाने,
35. दौला-कन्यास सड़क का निर्माण किये जाने,
36. चन्द्रापुरी-भटवाड़ी से अजयपुर तक सड़क निर्माण किये जाने,
37. क्यूंजा घाटी में बैंकों की स्थापना हेतु प्रयास किये जाने,
38. क्यूंजा में पशु चिकित्सालय आरंभ करने और शीघ्र पशु चिकित्सालय खोले जाने,
39. कौथा से तेवड़ी मोटर मार्ग को आरंभ करने,
40. मिनी स्टेडियम ब्रह्म, कंडारा में मिनी स्टेडियम बनाने,
41. केदारनाथ विधानसभा के सभी अनुसूचित जाति बस्तियों में मिलन केंद्र/ बारात घरों का निर्माण किये जाने,

42. कंडारा में आयुर्वेदिक व यूनानी पद्धति के अस्पताल का निर्माण किये जाने,
43. कंडारा से सेरा के लिए मोटर मार्ग का निर्माण किये,
44. राजराजेश्वरी मंदिर कंडारा का सौंदर्यीकरण किये जाने,
45. पुरातत्व विभाग द्वारा रंगेश्वर महादेव के सम्बन्ध में,
46. जिला पंचायत पैदल मार्ग कंडारा से नौला धार का निर्माण करने,
47. धांधल तोक और सेरा तोक में गूल निर्माण किये जाने,
48. गैर और जैखडा गांवों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा गूल निर्माण किये जाने,
49. कंडारा में मुख्यमंत्री आदर्श गांव में विद्युत लाइन के उच्चीकरण और ट्रांसफार्मरों की स्थापना करने,
50. गैर, नौलाधार से ब्रह्म खाल, जलई- कंडारा -बासंबाड़ा मोटर मार्गों के निर्माण किये जाने,
51. पंचायत भवन कंडारा को राजीव गांधी पंचायत भवन बनाने,
52. अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत सेरा व कंडारा में स्वीकृत बस्ती के निर्माण किये जाने,
53. तहसील बसुकेदार में एस0डी0एम0 व तहसीलदार की नियुक्ति किये जाने,
54. तहसील बसुकेदार का भवन निर्माण किये जाने,
55. बसुकेदार स्थित बैंक की शाखा जो नोटबंदी के बाद बंद है उसे पुनः खोलने,
56. बसुकेदार-डालसिंगी व क्यार्क-जमेथी के निर्माण किये जाने,
57. बसुकेदार में 108 सेवा फिर से शुरू किये जाने,
58. बसुकेदार इंटर कालेज के भवन का निर्माण किये जाने,
59. चन्द्रनगर में आई0टी0आई0 के निर्माण किये जाने,
60. कांदी, केड़ा तल्ला, मल्ला बाड़व अनुसूचित जाति बस्ती में पेयजल निर्माण किये जाने,
61. केड़ा तल्ला व मल्ला को सड़क से जोड़े जाने,
62. किन्ज्याणी होते हुए रव्वा तक पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,
63. डुंगरी से चन्द्रनगर पेयजल योजना का सुधारीकरण किये जाने,
64. 2013 आपदा में क्षतिग्रस्त विजयनगर -पठालीधार मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का सुधारीकरण किये जाने,
65. विजयनगर-तैला मोटर मार्ग के मरघट तोक से बाराकोटा सिल्ला के 3 किमी भाग का नवनिर्माण किये जाने,
66. पठाली धार के इंटर कालेज, स्वास्थ्य केन्द्र और जूनियर हाई स्कूल के भूस्खलित क्षेत्र की रोकथाम किये जाने,
67. मणिपुर इंटर कालेज का निर्माण किये जाने,
68. भणज इंटर कालेज के निर्माण किये जाने,
69. विजयनगर, चन्द्रापुरी स्थित झूला पुल का त्वरित निर्माण किये जाने,

70. फलई पेयजल के विस्तारीकरण किये जाने,
71. डांगी में पेयजल योजना के विस्तारीकरण किये जाने,
72. फलई में एल0एन्ड0टी0 द्वारा सी0एस0आर0 के अर्न्तगत निर्मित मोटर मार्ग को लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने,
73. डांगी में विद्युत लाइन के सुधारीकरण करने,
74. गौरीकुंड स्थित तप्त कुंड के निर्माण करने,
75. निर्माण कार्य की जांच किये जाने,
76. 7 किमी लंबे बावई-क्यार्क-फलासी मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने,
77. 1 किमी लंबे कोडा-दाणकोट मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
78. 1 किमी लम्बे बरसिल-बमोली-मयकोटी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में,
79. 7 किमी लम्बे कमेड़ा-हडेटी खाल के निर्माण के सम्बन्ध में,
80. 3 किमी लंबे घिमतोली-स्वारीग्वास मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
81. 7 किमी लंबे स्वारीग्वास-देवीधार-खमोली-मालखी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
82. 3 किमी लंबे कोल्लुबैंड-तड़ाग मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
83. 2 किमी लंबे चोपता-गोरणा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
84. 3 किमी लंबे मक्कापाणी-फलासी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
85. कुणजाणी-फलासी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
86. घिमतोली से अनुसूचित जाति बस्ती स्वारी के बीच स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान में संपर्क मार्ग का निर्माण किये जाने,
87. चोपता-गोरणा-जाखणी-चमस्वाडा के बीच 3 किमी लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण किये जाने,
88. मयकोटी-कुमोली-कर्णधार के बीच 3 किमी लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण किये जाने,
89. उरखोली-तड़ाग के बीच 2 किमी लंबे संपर्क मार्ग के निर्माण किये जाने,
90. सौरगड़ गदरे में तड़ाग-उरखोली-बछनी-स्वारी-फलासी-कोल्लू-भंडू-बावई -सौरभटगांव में आपदा से क्षतिग्रस्त नहरों के पुर्ननिर्माण किये जाने,
91. स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान में अनुसूचित जाति बस्ती स्वारी में बाढ़ सुरक्षा कार्य करने,
92. 34 ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली एन0आर0पी0डब्ल्यू0पी के अर्न्तगत धारकोट-नैणी पंपिंग योजना का निर्माण किये जाने,
93. कोल्लू भन्नु सोलर पंपिंग योजना का निर्माण किये जाने,
94. रिंगोल नदी हाफला,चमोली से रुद्रप्रयाग के सतेराखाल तक प्रस्तावित पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,
95. दोणगिड-मणिगुहा-बंडी-खाली कमोली पेयजल के सम्बन्ध में,
96. आकाशकामनी, तुंगनाथ से शुरू होने वाली पेयजल योजना के सम्बन्ध में,

97. खड़पतिया, मणिगुहा और जागतोली में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
98. केदारनाथ विधानसभा के सभी गांवों में आंगनबाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी भवनों,
99. उरखोली में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोले जाने,
100. तड़ाग एवं फलासी में पशु सेवा केन्द्र खोले जाने,
101. घिमतोली में 780 नाली के उद्यान में उद्यान शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने,
102. दशज्यूला में आई0टी0आई0 की स्थापना करने,
103. चोपता में एक और राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा की स्थापना किये जाने,
104. जागतोली में स्टेट बैंक की शाखा की स्थापना किये जाने,
105. कृषि बहुउद्देश्यीय संस्थान दशज्यूला में स्थापित करने,
106. जिला रुद्रप्रयाग में दुग्ध संघ की स्थापना करने,
107. जिला रुद्रप्रयाग में पृथक सहकारी बैंक की स्थापना करने,
108. तल्ला नागपुर औद्योगिक, कृषि, पर्यटन विकास मेले को राज्य मेले का दर्जा दिये जाने,
109. चोपता में पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने,
110. चोपता में बालिका इंटर कालेज की स्थापना किये जाने,
111. घिमतोली में जड़ी बूटी शोध संस्थान केन्द्र खोले जाने,
112. तल्ला नागपुर में सैनिक विश्राम गृह व वन विश्राम गृह का निर्माण किये जाने,
113. जाखधार से दरम्वाड़ी तक सड़क का डामरीकरण किये जाने,
114. अन्य जनपदों की भांति श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में रुद्रप्रयाग जिले की जिला पंचायत से एक सदस्य नामित किये जाने,
115. द्वारीधार-थपलगांव में एलौपैथिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की स्थापना किये जाने,
116. फ्लोटिंग जनसंख्या को देखते हुए गुप्तकाशी के आस-पास के 10 ग्राम सभाओं को पर्यटक ग्राम घोषित किये जाने,
117. वासुकी ताल के प्राकृतिक जल को सोनप्रयाग में वोटलिंग प्लांट लगाये जाने,
118. सल्या- तुलंगा मोटर मार्ग में निर्माण कार्यों में हुई अनियमितता की जांच कराने,
119. आपदा में छोड़े-खच्चर और मजदूरों को न्यायोचित मुआवजा देने,
120. रुमसी और भोशाल ग्राम सभाओं में पेयजल समस्या के निराकरण किये जाने,
121. तलसारी में अनुसूचित जाति बस्ती में पेयजल समस्या के निराकरण

- का उल्लेख किये जाने,
122. सौंड़ी से तलसारी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
 123. सौड़ी –अमोटा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
 124. कोटद्वार– चिल्लरखाल– लालढाग मोटर मार्ग का निर्माण तथा कांडी मोटर मार्ग का निर्माण की बाधाएँ समाप्त कर उसका निर्माण किये जाने,
 125. वन अधिनियम के कारण द्वितीय केंदार मद्महेश्वर और तृतीय केंदार तुंगनाथ में विजली पहुंचाये जाने,
 126. नये जिलों के निर्माण किये जाने,
 127. 65 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को बस यात्रा में किराये पर छूट दिये जाने,
 128. बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
 129. गौचर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आदि स्थानों से हवाई सेवा आरम्भ करने,
 130. भगवानपुर, कोटद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर मेडिकल कालेजों को शुरू करने,
 131. अल्मोड़ा मेडिकल कालेज को शुरू करने,
 132. आपदा अनुमान के लिए डाप्लर रडार लगाने व आपदा अनुमान तंत्र को विकसित करने,
 133. राज्य के सभी इंटर कालेजों में एन0सी0सी0 खोले जाने,
 134. भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपये करने, आशा कार्यकर्तियों के मानदेय को बढ़ाकर 5000 रुपये करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अर्धसरकारी कर्मचारी का दर्जा दिये जाने,
 135. प्रदर रोग से मातृ शिशु मृत्युदर कम करने के लिए कार्ययोजना बनाने और कार्यान्वित किये जाने,
 136. पलायन रोकने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने,
 137. माडल स्कूल और राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों को आगे बढ़ाने हेतु कोई कार्ययोजना बनाये जाने,
 138. सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को निशुल्क यात्रा, पेंशन और आवासीय सुविधा जो पूर्ववर्ती सराकर ने दी थी को आगे बढ़ाये जाने,
 139. पर्वतीय क्षेत्रों से बीमारों को लाने हेतु हेलीसेवा की स्थापना किये जाने,
 140. ऊखीमठ, अगस्त्यमुनी, जोशीमठ, थराली, देवाल, धारचूला, मुनस्यारी, विकास खण्डों में रियायती दरों पर हैली सेवा उपलब्ध कराने,
 141. रुड़की, हरिद्वार, ऋशिकेश, दे0दून से विकासनगर के बीच मेट्रो आरम्भ करने,

142. जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, लालकुंआ, सितारगंज, खटीमा, हल्द्वानी , काठगोदाम के मध्य मेट्रो परियोजना बनाये जाने,
143. रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्ययोजना को आगे बढ़ाने,
144. रानीखेत-झूलादेवी-चौखुटिया, रामवाड़ा-केदारनाथ, घांघरिया-हेमकुंड, देहरादून-मंसूरी, मुनस्यारी-खलिया टोप रोप वे का निर्माण किये जाने,
145. कांदी में जल संस्थान की क्षतिग्रस्त योजना के पुर्ननिर्माण किये जाने,
146. क्यौंजा- कंडारा के मध्य से दौला-कन्यास तक मोटर मार्ग किये जाने,
147. कंडारा में महाविद्यालय खोले जाने,
148. कंडारा-1पेयजल योजना को ग्राम सभा से जल संस्थान में हस्तांतरित करने,
149. 25 साल पुरानी कंडारा- 2 पेयजल योजना जो सड़क के मध्य स्थित है के पुनर्निर्माण किये जाने,
150. चन्द्रापुरी में केन्द्रीय विद्यालय की भूमि त्रुटिवश उत्तराखंड शिक्षा विभाग के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई है, उस भूमि को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नाम हस्तांतरित करने,
151. ककोला से सेरसी-अमरतोला-बग्गड़धार-गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने,
152. कणसिल्ली पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,
153. चन्द्रापुरी से लेकर कणसिल्ली तक क्यौंजागाड़ पर बाढ़ सुरक्षा दिवार का निर्माण किये जाने,
154. चन्द्रापुरी में कयाकिंग सलालम कोर्स बनाने के सम्बन्ध में,
155. फलई गदरे के आपदाग्रस्त भाग पर सुरक्षा दिवार का निर्माण किये जाने,
156. चन्द्रापुरी के स्यालसौंड में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
157. 5 किमी लंबे गुगली से अजयपुर-कुणजेठी-नगुड़ी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
158. जलई-सुरसाल राजस्व ग्राम को दो नये राजस्व ग्रामों जलई और सुरसाल में विभाजित करने,
159. काकड़ागाड-अगस्त्यमुनी पेयजल योजना के सम्बन्ध में,
160. भीरी स्थित चिकित्सालय में डाक्टर सहित अन्य कर्मियों की नियुक्ति किये जाने,
161. उत्तराखण्ड प्रदेश निर्माण निगम की स्थापना किये जाने,
162. मैखड़ा के तागड़ी मेला स्थल को विकसित करने तथा
163. त्रिजुगीनारायण मेले को राज्य स्तरीय मेले के रूप में विकसित करने।”

8. श्री राजकुमार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा पुरोला में महिला पालिटैकनिक कालेज एवं नर्सिंग कालेज प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने,
2. जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा पुरोला में नगदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फल पट्टी घोषित किये जाने,
3. जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा पुरोला के मोरी ब्लाक में आलू विपणन केन्द्र खोले जाने,
4. जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा पुरोला में फूलों सहित संगंध पौधों की खेती के लिए कलस्टर एवं मोरी विकास खण्ड में जैविक खेती व जड़ी बूटी की खेती को बढ़ावा दिये जाने,
5. जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा पुरोला के रवाई घाटी में केश क्रोप को बढ़ावा देने के लिये नगदी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किये जाने,
6. जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा पुरोला में नियुक्त आयुर्वेदिक व एलोपैथिक चिकित्सकों की अन्यत्र स्थानों से मूल तैनाती स्थान पर वापस किये जाने,
7. आयुर्वेदिक व एलोपैथिक चिकित्सकों की पुरोला विधान सभा में तैनात चिकित्सकों के अन्यत्र स्थानों पर व्यवस्था की गई है, इन्हे मूल स्थान पर वापस तैनात किये जाने,
8. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय व राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तैनाती किए जाने,
9. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुरोला गुन्दियालगांव कुमोला, नौरी, गढोली, मैराणा, ढकाड़ा कुफारा रोड़ का चौड़ीकरण का कार्य किए जाने,
10. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति गांव के अंगोड़ा, श्रीकोट का लगभग 3 किलोमीटर डैरिका सुकडाला लगभग 2 किलोमीटर बिजौरी भौंती सिमल सारी मोटर मार्ग का डामरीकरण किए जाने,
11. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के नौगांव मुलाणा यमुना नदी नौगांव में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
12. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के कमल नदी के तट पर सौन्दर्यकरण हेतु लगभग 1 किलोमीटर कृत्रिम झील का निर्माण किये जाने,
13. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाये जाने,
14. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में नौगांव के कुआँ, यमुना तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जाने,
15. राज्य में विधान परिषद व कर्मचारी समन्वय परिषद का गठन किये जाने, प्रदेश के सभी ग्रामों को 2018 तक पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
16. आज 13वीं पंचवर्षीय योजना बनने जा रही है इस पर माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण में कहीं उल्लेख नहीं है,

- 17.मान्यवर दूरस्थ क्षेत्रों में जो कर्मचारी काम करते हैं, जैसे आर्मी के लोग हैं उनके बच्चों के लिए शिक्षा में आरक्षण होता है, ऐसे ही दूरस्थ बर्फीले क्षेत्रों में काम करते हैं चाहें वह वन विभाग का हो स्वास्थ्य विभाग अथवा शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण होना चाहिए तथा उनके परिवारों के लिए परिवार निवास आवास की व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए जिला मुख्यालय/ राजधानी में व्यवस्था किये जाने,
- 18.कर्मचारियों के जो सेवा से सम्बन्धित मामले होते हैं उनके निस्तारण के लिए समयबद्ध योजना का उल्लेख होना चाहिए जो सेवा विसर्गितियां हैं उनके समयबद्ध तरीके से निस्तारण किये जाने,
- 19.उत्तराखण्ड के पहाड़ी किसानों की जो खेती है हल्दी, मिर्च, किन्नु, अखरोट, माल्टा, अनारदाना, नीबू, गहत, सेब, मडूवा, झिंगोरा, पहाड़ी फसलों का समर्थन मूल्य दिये जाने,
- 20.अनुसूचित जाति के जो नायक रहे जैसे खुशीराम जी, स्व० भवानी भाई, जयानन्द भारती के नाम से किसी महाविद्यालय या नगर का नाम रखे जाने,
- 21.पूरे देश दुनिया में पुरोहित की मांग बढी और एक अच्छा व्यवसाय पुरोहितों का है इसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार होने की एक अच्छी योजना बनाये जाने तथा
- 22.पशुपालन विभाग में दो चिकित्सक केन्द्र होते हैं एक तो पशु चिकित्सालय तथा दूसरा पशु सेवा केन्द्र, पशु चिकित्सालय पर 4 या 5 व्यक्ति कार्य करते हैं, तथा पशु सेवा केन्द्र पर पशु धन प्रसार अधिकारी पशु सेवा केन्द्र पर ताला खोलता है, झाडू लगाता है तथा पशु चिकित्सा से लेकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करता है, ऐसी व्यवस्था को सुदृढ करने की आवश्यकता है। पशु सेवा केन्द्रों पर भी पशु चिकित्सालय के आधार पर कम से कम दो कर्मचारियों की व्यवस्था किये जाने।”